

अति आवश्यक

01/02/2021-3एन0जी0आई0एस0  
हरियाणा सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(एन0जी0आई0एस0 शाखा)

दिनांक: 19.02.2021

सेवा में

- 1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
- 2 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 3 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 4 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 5 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
- 6 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के तहत लेखा नम्बर अलाट करने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1985 में जारी की गई नई सामूहिक बीमा योजना की और दिलाउं और सूचित करूँ कि यह बीमा योजना हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है। इस बीमा योजना के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी के जी0आई0एस0 अंशदान की एक तिहाई राशि बीमा किश्त के रूप में, सरकारी सेवा में नियुक्ति तिथि से तथा आगामी जनवरी महीने के वेतन में से अंशदान की पूरी राशि की कटौती की जानी बनती है। उपरोक्त कटौतियों का सही ब्यौरा रखने हेतु बीमा योजना के प्रत्येक सदस्य को विभागाध्यक्ष द्वारा जी0आई0एस0 लेखा नम्बर अलाट किया जाता है, जोकि जी0पी0एफ0 लेखा नम्बर की तरह ही स्थाई होता है।

सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभागाध्यक्षों द्वारा इस बीमा योजना के अन्तर्गत कई अधिकारियों/कर्मचारियों [अंशदाताओं] के वेतन में से कटौती तो की जा रही है लेकिन उनको अब तक जी0आई0एस0 लेखा नम्बर अलाट नहीं किये गये हैं, जिस कारण अंशदाताओं या उनके आश्रितों को सेवानिवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर जी0आई0एस0 की अन्तिम अदायगी के समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ नवनियुक्त कर्मचारियों को भी जी0आई0एस0 लेखा नम्बर अलाट नहीं किये गये हैं और यदि किये गये हैं तो कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों [अंशदाताओं] को जी0आई0एस0 लेखा नम्बर जल्द से जल्द अलाट करके उनका लेखा जोखा भी रखा जाए और इसकी सूचना सरकार को 01.03.2021 तक अवश्य भेजें ।

भवदीय



अवर सचिव, प्रोटोकोल  
मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।